प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में CWJC No.- 8939/2019 गौरव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दायर किये जाने वाले संयुक्त प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु दिनांक– 18.06.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न

बैठक में सर्वप्रथम CWJC No.- 8939/2019 गौरव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 14.05.2019 को पारित आदेश की चर्चा की गई।

2. वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वृक्षों की Numbering के लिए कोई Indexing पॉलिसी बिहार राज्य में नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से सम्पर्क कर Indexing पॉलिसी के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाय। तदनुसार राज्य के लिए Indexing पॉलिसी प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि वृक्षों के Numbering में एकरूपता लायी जा सके।

3. विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 905, दिनांक– 03.04.2019 द्वारा शहरों में हरित आवरण की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है :–

(i) किसी भी सड़क निर्माण के समय सड़क के किनारे पेड़ों को यथा संभव नहीं काटा जाय।

(ii) सड़क के किनारे अवस्थित पेड़ की जड़ों के आस–पास पुरी तरह से कंक्रीट इत्यादि से नहीं भरा जाय, बल्कि पेड़ से 2 से 05 फीट तक की गोलाई में कच्ची जमीन छोड़ी जाय ताकि पेड़ों को पानी सुलभ हो सके तथा उनकी वृद्धि बाधित ना हो सके।

(iii) कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही अपवाद स्वरूप पेड़ों के पातन का निर्णय लिया जाय।

4. उक्त के आलोक में बैठक में यह सहमति बनी कि पथों का Alignment इस प्रकार Fix किया जाय कि वृक्षों का पातन नहीं हो या वृक्षों को Translocate करने की आवश्यकता नहीं पड़े। भवन एवं अन्य परिसर में भी पूर्व से लगे हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जाय, बल्कि आवश्यकतानुसार भवन का ही Orintation परिवर्तित किया जाय। साथ ही परिसर में अतिरिक्त हरित आवरण का भी विकास किया जाय। बैठक में यह भी सहमति बनी कि इस प्रकार की परियोजनाओं में परियोजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हरित आवरण में वृद्धि हो सके। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय किया जाएगा।

5. संयुक्त प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु पटना शहर के अन्तर्गत हरित आवरण में वृद्धि लाने के लिए पटना नगर निगम द्वारा किये गये निम्नलिखित कार्यों की विवरणी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) वीरचन्द्र पटेल पथ सहित पटना स्मार्ट सिटी के तहत लिए गये अन्य सड़कों पर वृक्षारोपण की प्रस्तावित विवरणी।

(ii) CSR के तहत लगाये जा रहे वृक्षों से संबंधित विवरणी एवं अन्य कार्य।

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पटना शहर के अन्तर्गत हरित आवरण में वृद्धि लाने के लिए किये गये निम्नलिखित कार्यों की विवरणी प्राप्त कर लिया जाय :–

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत 70 पार्कों की अद्यतन स्थिति।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा AMRUT योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पार्कों की अद्यतन स्थिति।

7. पथ निर्माण विभाग द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 14.05.2019 को पारित आदेश में पथ निर्माण विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर विभागीय पक्ष हेतु समाग्री उपलब्ध कराया जाएगा।

8. संयुक्त प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग से श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव एवं पथ निर्माण विभाग से श्री एच०पी० चौधरी, मुख्य अभियंता समन्वय करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के पैनल अधिवक्ता श्री गोपीनाथ झा, जो पथ निर्माण विभाग के भी पैनल अधिवक्ता है, पथ निर्माण विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त प्रतिशपथ पत्र प्रारूप तैयार करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

20/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2ब०/न्या०–19–25/2019 3053 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–20/6/19

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संयुक्त सचिव–सह–सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

CWJC No.- 8939/2019 गौरव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दायर किये जाने वाले संयुक्त प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु दिनांक– 18.06.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.	[illegible] सेहरा, विशेष सचिव	पथ निर्माण विभाग 8544404189	[signature] 18/6/19
3.	एच. पी. चौधरी, मु० अभि० 9470001257	पथ निर्माण विभाग	[signature] 18/6
4.	S. K. Singh	UD & HD	[signature] 18/6/19
5.	Anand Kr. Jha Joint Sec.	UD & HD	[signature] 18.6.19
6.	P. K. Gupta, RCCF Patna 8986153507	Env., Forest & CC	[signature] 18/6/19
7.	Hemant Patil, DFO Patna 9456102735	Env. Forest & CC	[signature] 18/06/2019
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			